न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 70/18

1. प्रहलाद
2. कानजी
3. सुदामा
4. हंसराज पुत्रान काल्या जातियान मीना निवासी भडकोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
5. बाबूलाल पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी भडकोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. केदार पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी भडकोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
2. रामजीलाल पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी भडकोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
3. शाखा प्रबंधक, बी.आर.जीं.बी. शाखा भाडोती जिला सवाई माधोपुर
4. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 64/15 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.12.17)

उपस्थित अभिभाषक :

1. अपीलांट की और से श्री भंवर सिह जादौन
2. रेस्पोडेटान 1 की और से श्री चिरंजीलाल सैनी

निर्णय दिनांक 10.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 64/15 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.12.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0/वादी ने दावा घोषणा नक्शा दुरूस्ती,बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक खेत ख0न0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ग्राम भडकोली मे स्थित था। यह ख0न0 वादी, प्रतिवादी न0 7 रामजीलाल पुत्र सुखलाल व अन्य सहखातेदारन की खातेदारी मे दर्ज था। जिसका बंटवारा न्यायालय से हुआ। इसकी पालना मे नामा0 संख्या 231 दिनांक 12.5.04 को खुला। इस बंटवारे के अनुसार ख0न0 219 के 2 हिस्सेदारो वादी व प्रतिवादी संख्या 7 हुए। बंटवारे मे वादी के 13 विस्वा भूमि दक्षिण की तरफ आई व 12 विस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से मे उत्तर दिशा की तरफ आई। सेटलमेंट के दौरान वादी के पुराने ख0न0 219 के दक्षिणी 13 विस्वा हिस्से का नया नम्बर 632 रकबा 16 ऐयर वादी के खातेदारी मे दर्ज किया गया तथा उत्तरी 15 विस्वा का नया ख0न0 990/632 कायम हुआ जो प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल के दर्ज हुआ। जमाबंदी मे इन्द्राज मे हमे कोई आपत्ती नही है। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 7 का नक्शा

10.2.20

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

ट्रेस मे कोई विभाजन नही दर्शाया। इसके साथ ही ख0न0 632 की दक्षिणी मेड को जो कि पुराने नक्शे मे दर्शित थी उस जगह नही दर्शाकर उत्तर की तरफ पश्चिम की ओर 4 मीटर खिसका दी तथा पूरब की तरफ 7 मीटर खिसका दी जिससे वादी के हिस्से मे 238 वर्गमीटर भूमि कम हो गई। नजरी नक्शे मे इस भूमि को मार्क ए बी सी डी से दिखाया गया है। वादी की 368 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के खेत ख0न0 629 मे शामिल कर दी जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नही था। उक्त 368 वर्गमीटर भूमि नक्शा ट्रेस मे शुद्व करवाने का वादी अधिकारी है। नया ख0न0 632 एवं 990/632 के पश्चिम मे मुझ वादी के खातेदारी मे दर्ज ख0न0 632 एवं 989/630 स्थित है। इन दोनो खेतो की पूर्वी मेड की भूमि नजरी नक्शा अनुसार ई से एफ स्थान पर 4 मीटर व जी स्थान पर 2 मीटर एवं ई से जी उत्तर दक्षिण 20 मीटर लम्बाई मे भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा कम कर दी गई जो कि 60 वर्गमीटर होती है। जिसे भी वादी नक्शा शीट मे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसी तरह पुराने ख0न0 219 की उत्तरी पश्चिमी को जो कि नजरी नक्शा अनुसार एफ जी स्थान पर होना चाहिए था जिसे सेटलमेंट विभाग ने नक्शा शीट मे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे दिखाऐ मार्क ई से जी स्थान पर बना दिया जिससे मुझ वादी की 60 वर्गमीटर भूमि कम हो गई। इसी तरह पुराने ख0न0 219 की उत्तरी मेड को भी भू प्रबंध विभाग द्वारा नियत स्थान से उत्तर की तरफ खिसका दिया जबकि उत्तर की तरफ दुसरे काश्तकारो के खेत है। वादी को दिनांक 17.5.15 को इस नक्शा शीट का पता जब चला जब पटवारी हल्का खेत को नापने आये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 भी सीमाज्ञान के समय मौजूद थे जिन्होने उक्त अशुद्वि का लाभ उठाकर मेरी 238 वर्गमीटर भूमि को दबाते हुए दिनांक 30.6.15 को काश्त कर दी। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने खाली करने से मना कर दिया। अतः घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के ख0न0 632 की दक्षिण की तरफ की मेड को गलत तरीके से पश्चिम की तरफ ए बी स्थान पर 4 मीटर व सी डी स्थान पर 7 मीटर तथा लम्बाई मे 68 मीटर उत्तर की तरफ खिसका कर भूमि कम कर दी। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी के खेत ख0न0 632 मे दर्शाया जावे तथा वादी के खेत ख0न0 631 व 989/630 की भूमि मे प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा जिसें नजरी नक्शे मे मार्क ई जी से दर्शाया गया है उसे एफ जी स्थान पर दर्शाये जाने का वादी अधिकारी है। तदनुसार नक्शा शीट मे तरमीम कर शुद्वि किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 10 को दिये जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा नाजायज अतिकमण कर मुझ वादी की 368 वर्गमीटर भूमि पर नाजायज कब्जा किया है वह अवैधानिक है जिन्हे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे कोई दखल न तो स्वयं पैदा करे न किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Scanned by CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि आराजी खाता संख्या 22 मे कुल किता 11 कुल रकबा 2.0600 है0 भूमि ग्राम भडकोली मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे ख0न0 629 रकबा 0.26 है0 भी है। वादी की आराजी ख0न0 632 रकबा 0.1600 है0 प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 629 के बीच किसी प्रकार की कोई आराजी शामिल नही की गई है। वादी द्वारा 238 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादीगण की आराजी मे शामिल करना बताया है। वह विल्कुल गलत है। वादी एवं प्रतिवादी अपनी अपनी आराजी पर वर्षो से काबिज काश्त है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ना तो भूमि कम की गई ना ही ज्यादा की गई है। मौके पर पूर्व की भांति स्थित है। वादी ने दिनांक 16.5.15 को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र तहसील मे पेश किया था जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का को आदेश दिया था। पटवारी हल्का द्वारा आराजी ख0न0 632 रकबा 0.1600 है0 का सीमाज्ञान किया गया जिसमे कही भी ख0न0 629 मे किसी भी प्रकार की कोई आराजी वादी की शामिल नही पाई गई है। नक्शा शीट पूर्व की भांति दुरूस्त है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की किसी भी आराजी पर नाजायज कब्जा नही किया गया है ना ही सेटलमेंट विभाग द्वारा रेस्पो0 की 238 वर्गमीटर कम नही की गई है। अपीलांट का ख0न0 629 पर जितना पहले कब्जा था उसी पर आज भी है। पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान मे भी अपीलांट की आराजी मे रेस्पो0 की आराजी का शामिल होने का कोई जिक्र नही किया है। रेस्पो0 द्वारा सीमाज्ञान से संतुष्ट होने पर ही उस पर हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो मे पर गौर नही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यो के विपरीत एवं तनकीवार साक्ष्य का सही प्रकार से निर्वचन कर अहम भूल की है। जो निरस्त योग्य है। वादी/रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र को तनकीवार साक्ष्य से साबित नही किया है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 ता 7 को वादी/रेस्पो0 ने साक्ष्य से साबित नही किया है उपरोक्त तनकियो को अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य से साबित हुए ही रेस्पो/वादी के पक्ष मे निर्णय कर दिया है। वादी/रेस्पो0 केदार राजस्व विभाग मे आफिस कानूनगो के पद पर तैनात है वादी केदार के राजस्व कर्मचारी होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को बिना साक्ष्य के ही वादी के पक्ष मे निर्णित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट खेती बाडी का कार्य करता है अपीलांट अपने अधिवक्ता से दिनांक 13.6.18 को मिलने मलारना डूँगर गया तो पता चला कि केस का निर्णय दिनांक 21.12.17 को हो गया है। जब जाकर अपीलांट द्वारा नकल प्राप्त कर लेने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि साबिक खेत ख0न0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ग्राम भडकोली मे स्थित था। यह ख0न0 रेस्पो, प्रतिवादी न0 7 रामजीलाल पुत्र सुखलाल व अन्य सहखातेदारन की खातेदारी मे दर्ज था। जिसका बंटवारा न्यायालय से हुआ। इसकी पालना मे नामा0 संख्या 231 दिनांक 12.5.04 को खुला। इस बंटवारे के अनुसार ख0न0 219 के 2 हिस्सेदारो रेस्पो0 व प्रतिवादी संख्या 7 हुए। बंटवारे मे रेस्पो0 के 13 विस्वा भूमि दक्षिण की तरफ आई व 12 विस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल पुत्र सुखलाल के हिस्से मे उत्तर दिशा की तरफ आई। सेटलमेंट के दौरान रेस्पो0 के पुराने ख0न0 219 के दक्षिणी 13 विस्वा हिस्से का नया नम्बर 632 रकंबा 16 ऐयर रेस्पो0 के खातेदारी मे दर्ज किया गया तथा उत्तरी 15 विस्वा का नया ख0न0 990/632 कायम हुआ जो प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल के दर्ज हुआ। जमाबंदी मे इन्द्राज मे हमे कोई आपत्ती नही है। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा रेस्पो0 व प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल का नक्शा ट्रेस मे कोई विभाजन नही दर्शाया। इसके साथ ही ख0न0 632 की दक्षिणी मेड को जो कि पुराने नक्शे मे दर्शित थी उस जगह नही दर्शाकर उत्तर की तरफ पश्चिम की ओर 4 मीटर खिसका दी तथा पूरब की तरफ 7 मीटर खिसका दी जिससे रेस्पो0 के हिस्से मे 238 वर्गमीटर भूमि कम हो गई। नजरी नक्शे मे इस भूमि को मार्क ए बी सी डी से दिखाया गया है। रेस्पो0 की 368 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के खेत ख0न0 629 मे शामिल कर दी जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नही था। उक्त 368 वर्गमीटर भूमि नक्शा ट्रेस मे शुद्व करवाने का रेस्पो0 अधिकारी होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। नया ख0न0 632 एवं 990/632 के पश्चिम मे मुझ रेस्पो0 के खातेदारी मे दर्ज ख0न0 632 एवं 989/630 स्थित है। इन दोनो खेतो की पूर्वी मेड की भूमि नजरी नक्शा अनुसार ई से एफ स्थान पर 4 मीटर व जी स्थान पर 2 मीटर एवं ई से जी उत्तर दक्षिण 20 मीटर लम्बाई मे भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा कम कर दी गई जो जो कि 60 वर्गमीटर होती है। जिसे भी रेस्पो0 नक्शा शीट मे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसी तरह पुराने ख0न0 219 की उत्तरी पश्चिमी को जो कि नजरी नक्शा अनुसार एफ जी स्थान पर होना चाहिए था जिसे सेटलमेंट विभाग ने नक्शा शीट मे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे दिखाऐ मार्क ई से जी स्थान पर बना दिया जिससे मुझ रेस्पो0 की 60 वर्गमीटर भूमि कम हो गई। इसी तरह पुराने ख0न0 219 की उत्तरी मेड को भी भू प्रबंध विभाग द्वारा नियत स्थान से उत्तर की तरफ खिसका दिया जबकि उत्तर की तरफ दुसरे काश्तकारो के खेत है। इस प्रकार की इस्तदुआ हम रेस्पो0/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मध्य तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन कर एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो को पूर्व विवेचन एवं मनन कर ही वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे तनकी संख्या 3 भूमि 238 वर्गमीटर बाबत विरेचित की गई है तनकी संख्या 3 के विवेचन मे विवेचित किया है कि इसे प्रमाणित करने के लिए वादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श 7 के अनुसार वादी की भूमि का कम होना पाया जाता है। नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वादी के द्वारा तैयार किया गया है जिसके क्षैत्रफल/नाप की पुष्टि किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा नही की गई है। जिससे यह सिद्व नही होता है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा सही हो। राजस्व नक्शे साबिक व हाल के मिलान की रिपोर्ट व मौके की स्थिति की रिपोर्ट राजस्व अधिकारी से लिया जाना उचित है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 64/15 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.12.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व नक्शा पूर्व व हाल के मिलान की रिपोर्ट व मौके की स्थिति की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त करे। इसके पश्चात उभयपक्ष को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के यहाँ दिनांक 10.3.2020 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10.2.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 17:28:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: